

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा**  
**प्रमोद कुमार (आर .ए.एस) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी**  
**उपखण्ड कनवास जिला कोटा**

मिसल नंबर 20/17

निर्णय दिनांक 01.06.2017

1. भंवरसिंह उर्फ झुझार सिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोदियाखेडी तहसील कनवास हान निवास मकानं नंबर 442 बापू नगर वालिता रोड कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :-

वादी रांय


प्रतिवादी की ओर से परोकार सरकार

दावा अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा जयें एडवोकेट वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम खोदियाखेडी पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070-73 तक खाता संख्या नई 24 के खसरा नंबर 140 की रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 188 की रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 189 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 190 की रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 202 की रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 203 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 204 की रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 205 की 0.55 है0, खसरा नंबर 206 की रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 233 की रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 282 की रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 290 की 0.06 है0, खसरा नंबर 315 की रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 319 की रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 336 की रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 405 की रकबा 0.04 है0, कुल किता 16 की कुल



  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (राज०)

रकबा 2.36 हे०, आराजी स्थित है, जिस पर वादी के पिता कर्णसिंह जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादी बदस्तूर उक्त आराजी पर काबिज काश्त है। जिस पर वादी ने इस वर्ष गेहू की फसल बोई है, जो अब कटने को तैयार है।

यह कि वादी के पिता स्व० कर्णसिंह की मृत्यु के समय वादी केवल 08 माह का था तथा उस वक्त वादी का घर का नाम झुंझारसिंह था तथा सभी घर वाले वादी को झुंझारसिंह के नाम से ही पुकारते थे। इसलिए वादी के पिता कर्णसिंह की मृत्यु के पश्चात खुले फोती इन्तकाल में उस समय वादी का नाम घर वालों ने झुंझार सिंह पुत्र कर्णसिंह दर्ज करवा दिया लेकिन जब वादी को स्कूल में दाखिला दिलवाया तब वादी का स्कूल दस्तावेजात में और स्कूल रिकार्ड में वादी का नाम भंवर सिंह लिखवा दिया तथा तब से वादी का सभी दस्तावेजात में और स्कूल रिकार्ड में वादी का नाम भंवर सिंह पुत्र कर्ण सिंह चला आ रहा है। तथा वादी वर्तमान में कृषि विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पद पर बीज प्रशिक्षण प्रयोगशाला बजरंग नगर, कोटा में कार्यरत है। वंही भी वादी का नाम भंवर सिंह पुत्र कर्णसिंह है। लेकिन राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम आज भी झुंझार सिंह पुत्र कर्णसिंह चला आ रहा है, इसलिए वादी को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने व मुआवजा प्राप्त करने इत्यादि में काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

यह कि झुंझार सिंह व भंवर सिंह दोनों वादी के ही नाम है तथा वादी के पिता का नाम कर्णसिंह है, तथा इस नाम व वल्दियत व जाति का ग्राम खोदियाखेडी में अन्य कोई व्यक्ति नही है तथा राजपूत जाति का ग्राम खोदियाखेडी में एक ही परिवार है जो मुझ वादी का है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद में वर्णित अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की पैतृक आराजी माल ग्राम खोदियाखेडी पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070-73 तक खाता संख्या नई 24 के खसरा नंबर 140 की रकबा 0.03 है०, खसरा नंबर 188 की रकबा 0.23 है०, खसरा नंबर 189 की रकबा 0.21 हे०, खसरा नंबर 190 की रकबा 0.16 है०, खसरा नंबर 202 की रकबा 0.16 हे०, खसरा नंबर 203 की रकबा 0.21 है०, खसरा नंबर 204 की रकबा 0.41 है०, खसरा नंबर 205 की 0.55 है०, खसरा नंबर 206 की रकबा 0.03 है०, खसरा नंबर 233 की रकबा 0.03 है०, खसरा नंबर 282 की रकबा 0.05 है०, खसरा नंबर 290 की 0.06 है०, खसरा नंबर 315 की रकबा 0.02 है०, खसरा नंबर 319 की रकबा 0.09 है०, खसरा नंबर 336 की रकबा 0.08 है०, खसरा नंबर 405 की रकबा 0.04 है०, कुल कित्ता 16 की कुल रकबा 2.36 हे०, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरुस्त कर झुंझार सिंह पुत्र कर्ण सिंह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र कर्ण सिंह कोम राजपूत साकिन खोदियाखेडी खातेदार दर्ज किया जावे तथा वादीरको उक्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार कनवास द्वारा आदेशिका पुष्ट पर निवेदन किया कि वादी का नाम दुरुस्त का झुंझार सिंह पुत्र कर्णसिंह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र कर्ण सिंह कोम राजपूत साकिन खोदियाखेडी दर्ज करने में अपनी सहमति जाहिर की। यह कि वादी द्वारा भी अपने साक्ष्य के रूप में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आमली तहसील कनवास का प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति, ग्राम



*hct*  
उपसुपड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (राज०)

पंचायत खजूरना द्वारा जारी प्रमाण -पत्र की प्रतियां पेश की जिनमें वादी का नाम भंवरसिंह पुत्र कर्ण सिंह दर्ज है।


पत्रावल सुनवाई हेतु राजस्व लोक अदालत शिविर में प्रस्तुत हुई पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया पत्रावली निर्णय योग्य पायी गयी जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि माल ग्राम खोदियाखेडी पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070-73 तक खाता संख्या नई 24 के खसरा नंबर 140 की रकबा 0.03 है, खसरा नंबर 188 की रकबा 0.23 है, खसरा नंबर 189 की रकबा 0.21 है, खसरा नंबर 190 की रकबा 0.16 है, खसरा नंबर 202 की रकबा 0.16 है, खसरा नंबर 203 की रकबा 0.21 है, खसरा नंबर 204 की रकबा 0.41 है, खसरा नंबर 205 की 0.55 है, खसरा नंबर 206 की रकबा 0.03 है, खसरा नंबर 233 की रकबा 0.03 है, खसरा नंबर 282 की रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 290 की 0.06 है, खसरा नंबर 315 की रकबा 0.02 है, खसरा नंबर 319 की रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 336 की रकबा 0.08 है, खसरा नंबर 405 की रकबा 0.04 है, कुल किता 16 की कुल रकबा 2.36 है, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरुस्त कर झुंझार सिंह पुत्र कर्ण सिंह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र करणसिंह कौम राजपूत साकिन खोदियाखेडी खातेदार दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

#### आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम खोदियाखेडी पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070-73 तक खाता संख्या नई 24 के खसरा नंबर 140 की रकबा 0.03 है, खसरा नंबर 188 की रकबा 0.23 है, खसरा नंबर 189 की रकबा 0.21 है, खसरा नंबर 190 की रकबा 0.16 है, खसरा नंबर 202 की रकबा 0.16 है, खसरा नंबर 203 की रकबा 0.21 है, खसरा नंबर 204 की रकबा 0.41 है, खसरा नंबर 205 की 0.55 है, खसरा नंबर 206 की रकबा 0.03 है, खसरा नंबर 233 की रकबा 0.03 है, खसरा नंबर 282 की रकबा 0.05 है, खसरा नंबर 290 की 0.06 है, खसरा नंबर 315 की रकबा 0.02 है, खसरा नंबर 319 की रकबा 0.09 है, खसरा नंबर 336 की रकबा 0.08 है, खसरा नंबर 405 की रकबा 0.04 है, कुल किता 16 की कुल रकबा 2.36 है, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दुरुस्त कर झुंझार सिंह पुत्र कर्ण सिंह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र करण सिंह कौम राजपूत साकिन खोदियाखेडी खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे। पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2017 को खूले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(प्रमोद कुमार आर ए एस)  
पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत  
उपखण्ड प्रभार कनवास

## अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा प्रमोद कुमार (आर. ए.एस.) राजस्व लोक अदालत शिविर प्रभारी अधिकारी उपखण्ड कनवास जिला कोटा

1. भंवरसिंह उर्फ झुझार सिंह पुत्र कर्णसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोदयाखेडी तहसील कनवास हान निवास मकानं नंबर 442 बापू नगर वालिता रोड कुन्हाडी कोटा तहसील लाडपुरा।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार साहब कनवास तहसील कनवास।

उपस्थित :-

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर, टी एक्ट

मुकदमा नं 20/17 सन 2017 निर्णय दिनांक 01.06.2017 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी स्वयं एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम खोदियाखेडी पटवार हल्का खजूरना तहसील कनवास जिला कोटा में मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2070-73 तक खाता संख्या नई 24 के खसरा नंबर 140 की रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 188 की रकबा 0.23 है0, खसरा नंबर 189 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 190 की रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 202 की रकबा 0.16 है0, खसरा नंबर 203 की रकबा 0.21 है0, खसरा नंबर 204 की रकबा 0.41 है0, खसरा नंबर 205 की 0.55 है0, खसरा नंबर 206 की रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 233 की रकबा 0.03 है0, खसरा नंबर 282 की रकबा 0.05 है0, खसरा नंबर 290 की 0.06 है0, खसरा नंबर 315 की रकबा 0.02 है0, खसरा नंबर 319 की रकबा 0.09 है0, खसरा नंबर 336 की रकबा 0.08 है0, खसरा नंबर 405 की रकबा 0.04 है0, कुल कित्ता 16 की कुल रकबा 2.36 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम



*Uet*  
उपखण्ड अधिकारी  
कनवास जिला कोटा (राज०)

दुरुस्त कर झुंझार सिंह पुत्र कर्ण सिंह के स्थान पर भंवर सिंह पुत्र करण सिंह कोम राजपूत साकिन खोदियाखेडी खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जातें है तथा राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिंग .... X ... बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01/06/2017 को जारी की गई।

मोहर .....



*(Handwritten signature)*

(प्रमोद कुमार आर ए एस)

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत

उपखण्ड प्रभार कनवास

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाह	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	----		स्टाम्प वकालतनामा	----	
स्टाम्प वकालतनामा	----		स्टाम्प अर्जी	----	
स्टाम्प वजह सबूत	----		महनताना वकील	----	
महनताना वकील	----		खर्चा गवाहान	----	
खर्चा गवाहान	----		फीस कमिश्नर	----	
फीस कमिश्नर	----		बाबत इजराय हुकमनामा	----	
बाबत इजराय हुकमनामा	----		मुतफर्रिक	----	
मुतफर्रिक	----		मीजान	----	
मीजान	----				

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

*(Handwritten signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
(प्रमोद कुमार आर ए एस)

पीठासीन अधिकारी राजस्व लोक अदालत

उपखण्ड प्रभार कनवास